न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – अरविन्द कुमार पोसवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
009/2022(रसद) (GCMS 2022/187)	**24.06.2022**	**21.09.2022**

अनवान

राजस्थान सरकार जरिये हितेश जोशी प्रवर्तन निरीक्षक, चित्तौड़गढ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थी

बनाम

1. भैरुलाल पिता गंगाराम निवासी मीणों का कंथारिया जालमपुरा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ (मोबाईल 9462374533)
2. देवीलाल पिता बगदीराम सुथार निवासी रानीखेडा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (मोबाईल 8290843024)

विपक्षीगण

उपस्थिति :– प्रवर्तन अधिकारी पैरोकार सरकार
अनुपस्थित विपक्षी

प्रार्थना अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए सपठित MS & HSD ऑर्डर 2005 में जब्तशुदा सामग्री के निस्तारण बाबत्

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रवर्तन अधिकारी हितेश जोशी, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रार्थना अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए सपठित **MS & HSD** ऑर्डर 2005 में जब्तशुदा सामग्री के निस्तारण बाबत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 02.05.2022 को पुलिस थाना कोतवाली निम्बाहेडा से दूरभाष पर प्राप्त सूचना के आधार पर आवेदक प्रवर्तन अधिकारी पुलिस थाना कोतवाली निम्बाहेडा पहुंचे। मौके पर पहुंचने पर पुलिस थाना कोतवाली द्वारा तहरीर क्रमांक 2399 दिनांक 02.05.2022 की गई। उक्त तहरीर के आधार पर ईदगाह चौराहा निम्बाहेडा से पेट्रोलियम पदार्थ के अवैध व्यापार/परिवहन/भंडारण करने के कारण दो पिकअप **RJ06GC7598** व **RJ09GA7518** को डिटेन किया गया तथा पिकअप **RJ06GC7598** के चालक व हेल्पर को भी डिटेन किया गया। मौके पर चालक भैरुलाल पिता गंगाराम ने पेट्रोलियम पदार्थ परिवहन बिना दस्तावेज के करने को स्वीकार किया तथा देवीलाल पिता बगदीराम सुथार ने पेट्रोलियम पदार्थ के टेंकर में भरना स्वीकार किया। मौके पर दोनो के

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बयान कलमबद्ध किये गये। गवाहों की उपस्थिति एवं चालक उपस्थिति में पिकअप में प्लास्टिक टेंक एवं जुडा एक डिस्पेन्सिंग यूनिट व नोजल होना पाया गया। मापन करने पर उक्त प्लास्टिक टेंक में **950 + 950 = 1900** लीटर पेट्रोलियम पदार्थ होना पाया गया। पिकअप **RJ09GA7518** का सत्यापन किया गया। इसके कुल 1000 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ एवं डिस्पेन्सिंग यूनिट होना पाया गया। मौके पर उक्त पेट्रोलियम पदार्थ का नमूना लिया गया तथा नमूना **B-1** वास्ते **FSl** जांच पुलिस कोतवाली की सुपुर्दगी में दिया गया। मौके पर ही दोनों पिकअप के नोजल को प्लास्टिक की सील नंबर **4047130** व **4047166** से सील किया गया। फर्द जब्ती मय सुपुर्दगीनामा तैयार कर दोनो पिकअप मय पेट्रोलियम पदार्थ के जब्तशुदा सामग्री समेत कोतवाली निम्बाहेडा में सुपुर्दगी में दिया गया। भैरूलाल पिता गंगाराम निवासी व मीणों का कंथारिया व देवीलाल पिता बगदीराम सुथार निवासी रानीखेडा का यह कृत्य पेट्रोलियम पदार्थ आदेश 2005 के विरूद्ध है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय है। अन्त में प्रार्थना की गई कि अभिग्रहित पिकअप मय 2900 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ, दोनो पिकअप, प्लास्टिक का टेंक, एक डिस्पेन्सिंग यूनिट व नोजल को राजसात कराने की कृपा करावें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सूचना पत्र मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किया गया। दिनांक 21.09.2022 को विपक्षीगण के बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से विपक्षीगण के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई गई।

इस पर हाजिर पैरोकार सरकार द्वारा बहस पत्रावली का निवेदन किया गया। इस पर हाजिर पैरोकार सरकार द्वारा की गई बहस पत्रावली को एक तरफा सुना गया। हाजिर पैरोकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि विपक्षीगण द्वारा अवैध रूप से बाहरी राज्यों से पेट्रोलियम पदार्थ यहां लाकर अन्य टैंकरों में निकाल कर खरीद फरोक्त का धन्धा करना तथा पेट्रोलियम पदार्थ का अवैध परिवहन एवं भण्डारण करने के साथ ही अवैध तरीके से विक्रय करना, पेट्रोलियम पदार्थ भरने तथा खाली करने के उपकरणों को अवैध तरीके से रखने का किया गया कृत्य पेट्रोलियम पदार्थ की अवैध रूप से कालाबाजारी करने से संबंधित होने एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध होने से जब्तशुदा पेट्रोलियम पदार्थ एवं अन्य सामग्री को राजसात करने का आदेश फरमाया जावे। इसी ईश्तदुआ के साथ पैरोकार सरकार ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। पैरोकार सरकार की गई बहस पत्रावली एक तरफा का चिंतन-मनन किया। पत्रावली वास्ते निर्णय रिजर्व की गई।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावली का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। विपक्षीगण द्वारा डीजल पेट्रोलियम पदार्थ अपने पास रख भण्डारण करने, विक्रय करने तथा परिवहन करने संबंधी कोई वैध दस्तावेज व लाईसेंस नहीं होना स्वीकार किया एवं

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

विपक्षीगण के बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने विपक्षीगण के विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा अमल में लाये जाने से पत्रावली पर आवेदन का किसी भी प्रकार से खण्डन उपलब्ध नहीं हैं, ऐसी स्थिति में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं साक्ष्य के आधार पर विपक्षीगण द्वारा बाहर से अवैध रूप से टैंकरों में डीजल भरकर लाना तथा अवैध तरीके से अपने कब्जे में रखना, विक्रय करना, पेट्रोलियम पदार्थ का अवैध परिवहन, भण्डारण तथा उनकी कालाबाजारी करना प्रमाणित/सिद्ध पाया जाने से अभिग्रहित 2900 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ, दोनो पिकअप, प्लास्टिक का टैंक, एक डिस्पेन्सिंग यूनिट व नोजल को राजसात किये जाने योग्य है। हस्तगत प्रकरण में जब्तशुदा वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या **RJ 09 GA 7518** न्यायालय के दीगर प्रकरण संख्या 107/2022 (रे.वि.) निर्णय दिनांक 21.09.2022 अनवानी बबलू शेख बनाम सरकार अन्तर्गत धारा 457 जा0फौ0 में न्यायालय आदेश से वाहन स्वामी/अधिकृत स्वामी को रूपये **10,00,000/-** अक्षरे दस लाख रूपये के जमानतनामा एवं सिपुर्दगीनामा एवं अन्य जब्तशुदा वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या **RJ 06 GC 7598** न्यायालय के दीगर प्रकरण संख्या 108/2022 (रे.वि.) निर्णय दिनांक 21.09.2022 अनवानी देवकरण बनाम सरकार अन्तर्गत धारा 457 जा0फौ0 में न्यायालय आदेश से वाहन स्वामी/अधिकृत स्वामी को रूपये **10,00,000/-** अक्षरे दस लाख रूपये के जमानतनामा एवं सिपुर्दगीनामा पर सिपुर्द किये जाने के आदेश दिये गये है। ऐसी स्थिति में पुलिस थाना कोतवाली निम्बाहेडा में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट 230/2022 दिनांक 02.05.2022 में जब्तशुदा सामग्री का निस्तारण किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है एवं पुलिस थाना कोतवाली निम्बाहेडा में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट 230/2022 दिनांक 02.05.2022 में अभिग्रहित 2900 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ, दोनो पिकअप, प्लास्टिक का टैंक, एक डिस्पेन्सिंग यूनिट व नोजल को राजसात करने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ उक्त अभिग्रहित 2900 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ, दोनो पिकअप, प्लास्टिक का टैंक, एक डिस्पेन्सिंग यूनिट व नोजल थानाधिकारी, पुलिस थाना कोतवाली निम्बाहेडा से प्राप्त कर, नियमानुसार निस्तारण कर, प्राप्त आय राजकोष में जमा करा, पालना से अवगत करावें। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ एवं थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली निम्बाहेडा को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक <u>21.09.2022</u> को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official